मेरठ विकास प्राधिकरण

की

60वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 21—10—99

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 21-10-99

समय : 10-30 बजे प्रातः
स्थान : आयुक्त सभाकक्ष

उपस्थिति :

1- श्री एन०ए० विश्वनाथन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2- श्री जितेन्द्र बिष्णु	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3- श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4- श्री अनिल शर्मा	मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ ।	सदस्य
5- श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	विधायक, मेरठ शहर ।	सदस्य
6- श्री अमित अग्रवाल	विधायक, मेरठ कैन्ट ।	सदस्य
7- श्री महेश सिंहल		सदस्य
8- श्री हाजी निजामुददीन	सभासद, नगर निगम, मेरठ ।	सदस्य
9- श्रीमती राखी त्यागी	सभासद, नगर निगम, मेरठ ।	सदस्य
10- श्री आर०एस० गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत मेरठ ।	सदस्य
11- श्री वी०के० गुप्ता	सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ ।)	सदस्य
12- श्री ऊषाकान्त गुप्ता	संयुक्त निदेशक, कोषागार (प्रतिनिधि -सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।)	सदस्य
13- श्री जयभगवान वत्स	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ । (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जलनिगम, लखनऊ ।	सदस्य
14- श्री अनिल भटनागर	अर्थ नियोजक (प्रतिनिधि, आयुक्त-एन०सी०आर०)	सदस्य
15- डा० विनोद कुमार	संयुक्त निदेशक, उद्यो, मेरठ ।	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 21-10-99 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 21-10-99 को आयुक्त सभागार, मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल की अध्यक्षता में प्रातः 10-30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्न अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

1-	श्री एन०ए०विश्वनाथन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2-	श्री जितेन्द्र विष्णु	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4-	श्री अनिल शर्मा	मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
5-	श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	विधायक, मेरठ शहर।	सदस्य
6-	श्री अमित अग्रवाल	विधायक, मेरठ कैन्ट।	सदस्य
7-	श्री महेश सिंहल		सदस्य
8-	श्री हाजी निजामुददीन	सभासद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
9-	श्रीमती राखी त्यागी	सभासद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
10-	श्री आर०एस०गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत मेरठ।	सदस्य
11-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।)	सदस्य
12-	श्री ऊषाकान्त गुप्ता	संयुक्त निदेशक, कोषागार (प्रतिनिधि -सचिव, वित विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।)	सदस्य
13-	श्री जयभगवान वत्स	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ।	सदस्य
14-	श्री अनिल भटनागर	अर्थ नियोजक (प्रतिनिधि, आयुक्त-एन०सी०आर०)	सदस्य
15-	डा० विनोद कुमार	संयुक्त निदेशक, उद्योग, मेरठ।	सदस्य

मद संख्या - 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 20-4-99 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्यवृत्त दिनाँक 20-4-99 की पुष्टि की गयी।

मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 20-4-99 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

अनुपालन विशेष अतिरिक्त मद (भाग बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98)

ईब्ज चौराहे का सौन्दर्यीकरण

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया, विचार विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिये कि ईब्ज चौराहे पर ट्रांसफारमर हटाये जाने की कार्यवाही जिलाधिकारी, मेरठ तथा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत अपने स्तर से भी सुनिशिचत कर लें। बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत ने यह बिन्दु उठाया कि ईब्ज चौराहे एवं इन्द्रा चौक पर हाई मास्ट लगाया गया है परन्तु प्राधिकरण द्वारा इसमें प्रयुक्त लाईटस के लिये लोड स्वीकृत नहीं कराया गया है। उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु पृथक से लोड लिये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

हापुड अडडे चौराहे का सौन्दर्यीकरण

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अध्यक्ष महोदय ने अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत, मेरठ से अपेक्षा की कि ट्रासफारमर अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कार्य एक माह में पूर्ण कर लिया जाये।

बच्चा पार्क का सौन्दर्यीकरण

अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि इस बिषय में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ की ओर से शीघ्र ही नेरेटिव दाखिल करें तथा मुकदमें की सुनवाई में शीघ्रता हेतु कार्यवाही करें। विचार-विमर्श के उपरान्त यह भी मत व्यक्त किया गया कि जिलाधिकारी, मेरठ इस वाद में अपने माध्यम से समझौता कराकर कोई रास्ता निकलवाने का प्रयास करलें जिससे कि बच्चा पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा सके।

थापर नगर नाले को पाटकर सडक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि मृदा परीक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय इन्फ्रास्ट्रक्चर से किया जाये तथा इस कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सेतु निगम से भी तकनीकी परामर्श करके राय ज्ञात कर ली जाये।

अनुपालन मद संख्या - 6 (बोर्ड बैठक दिनाँक 21-12-98)

आरा मशीन, घरेलू रसाई गैस गोदाम, सरकारी कार्यालयों को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 6 (बोर्ड बैठक दिनाँक 20-4-99)

श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री एच०एस०शर्मा निवासी ६/एच-९१ श्रद्धापुरी, कंकरखेडा, मेरठ को प्राधिकरण की श्रद्धापुरी आवासीय योजना, फेज-प्रथम के अन्तर्गत आबंटित मध्यम आय वर्ग भवन सं०- 3/124 का मूल्य निर्धारण।

इस प्रकरण में बोर्ड ने वर्णित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित पत्रावली को कुछ सदस्यों के माध्यम से देखा। स्पष्ट रुप से भवन की कीमत कम करने का प्रयास किया गया प्रतीत होता है। समयाभाव के कारण इस

प्रकरण पर निर्णय नहीं हो सका। अगली बैठक में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये।

अनुपालन मद संख्या - 10

प्राधिकरण की अलोकप्रिय परिसम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश दिनाँक 4 मई, 98 के प्रकाश में मूल मूल्यांकन पद्धति से किया जाना।

विचार विमर्श के उपरान्त अनुपालन का अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 12

वैशाली कालौनी में बाहय विकास शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन कियागया, यह भी निर्देश दिये गये कि यह सुविधा केवल 31-12-99 तक ही प्रदान की जाये।

अनुपालन मद संख्या - 15

मेरठ महायोजना- 2001 में ग्राम रैसना के खसरा संख्या - 198 से 211 क्षेत्रफल 5.477 हैक्टे० "पार्क एवं खुले स्थल" भूउपयोग के बराबर के क्षेत्रफल की "आवासीय भूमि को पार्क एवं खुले स्थाल" भूउपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 16

स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण(अपराधों का शमन - द्वितीय संशोधन) उपविधि- 1998 में कतिपय परिष्कारों का समावेश करते हुए अंगीकार किये जाने एवं प्रगति आख्या के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्देशित किया गया कि जिन मामलों में शमन की कार्यवाही पूर्ण

करके नक्शे स्वीकृत किये गये हैं उन मामलों में दायर मुकदमें वापस लिये जाने की भी कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भी निर्देश दिये गये कि जिन मामलों में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हों, वह एक माह में निस्तारित कर दिये जायें। यह भी निर्णय लिया गया कि भूउपयोग परिवर्तन तथा महायोजना मार्गो की चौडाई में संशोधन करने का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में प्रतिनिधायन करने हेतु आयुक्त महोदय की ओर से शासन को पत्र लिखा जाये।

अनुपालन मद संख्या - 20

परतापुर इन्डस्ट्रीयल एशोसिएशन को आवासीय उपयोग हेतु शताब्दी नगर योजना के सैक्टर - 1 में भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 21

शताब्दी नगर योजना के अन्तर्गत अर्जित खसरा नं०- 497 क्षेत्रफल 9-5-0 बीघा ग्राम नगला शेर खाँ स्थित भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 1

प्राधिकरण द्वारा अर्जित किन्तु वर्तमान में अविकसित/ अनुपयोगी भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 5

प्राधिकरण की आबंटित परिसम्पत्ति के कब्जा हस्तान्तरण की व्यवस्था को भी भविष्य में लागू किया जाना।

विचार विमर्श के उपरान्त अनुपालन आख्या एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 11

नगर निगम को प्राधिकरण द्वारा देय धनराशि के विपरीत सभी वार्डो में सोडियम लाईट लगाया जाना।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 14

यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा औद्योगिक आस्थान उद्योगपुरम, परतापुर मेरठ पर बाहय विकास शुल्क रू० 60/- प्रति वर्गमीटर की दरों पर पुनर्विचार किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। यह सुविधा दिनाँक 31-12-99 तक ही दिये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 3

मेरठ विकास प्राधिकरण का वित्तीय बर्ष 1998-99 का वास्तविक एवं वित्तीय बर्ष 1999-2000 का प्रस्तावित आय - व्ययक के सम्बन्ध में।

वित्तीय बर्ष 1999-2000 के लिये आय-व्ययक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निम्न संशोधनों/निर्देशों के साथ आय - व्ययक प्रस्ताव पारित किया गया।

1- वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सम्बन्धित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आय के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विशेष प्रयास किये जायें।

2- बजट सीमाओं के अन्तर्गत ही व्यय किया जाये।

3- भू अर्जन मद में तीन करोड रुपये का भुगतान तत्काल किया जाये।

4- बल्क सेल के 1-00 करोड रुपये से अधिक के प्रस्तावों पर सचिव अथवा सचिव स्तर से उच्च अधिकारी द्वारा ही कार्यवाही की जाये।

5- अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये किसी योजना में भवन चिहिन्त करने के पश्चात शेष भवनों का विक्रय कर दिया जाये ।

6- योजनाओं में विकास कार्य वहीं कराये जायें जहाँ सम्पत्ति की विक्रयशीलता हो ।

7- योजनाओं के निकट ग्रामों के विकास पर अधिक बल दिया गया तथा निर्देश दिये गये कि उक्त ग्रामों के विकास का कार्य बजट प्राविधानों के अनुसार किया जाये ।

8- अधिकारी एवं अतिथि निवास के निर्माण कार्य के मद में बजट प्राविधान को स्वीकृत करते हुए निर्माण कार्य को फिलहाल स्थगित किया गया ।

9- शमन शुल्क से 5-00 करोड रुपये की आय अत्यधिक प्रदर्शित है, इस मद में प्रयास कर उक्त प्रस्तावित आय को वास्तविक आय बनाने के लिये कडे प्रयासों की आवश्यकता है । इस बर्ष प्राधिकरण को आश्रयहीन एवं किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य न करने परबल दिया गया, मात्र बल्क सेल से प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु सुझाव दिये गये ।

10- पूँजीगत व्यय में ठेकेदारों की रोकी गयी धनराशि को वापस करने हेतु प्रस्तावित विगम वित्तीय बर्ष में व्यय रु० 25-00 लाख के विरुद्ध 06 करोड 13 लाख का वास्तविक व्यय पर आपत्ति की गयी, जिस पर निर्देश दिये गये कि उक्त व्यय इस वित्तीय बर्ष में कम से कम किया जाये तथा इसमें कमी लायी जाये ।

11- विकसित एवं पूर्ण योजनाओं को चिन्हांकित कर सर्वप्रथम इन योजनाओं को पूँजीकृत कर सम्पूर्ण देनदारियों को समाप्त कर लिया जाये तथा इस पर राजस्व व्यय कम से कम किया जाये ।

मद संख्या - 4

गंगानगर योजना की पाकेट - एन में "शैक्षिक" उपयोग हेतु उपलब्ध 18000 वर्ग मी० के भूखण्ड के उपविभाजन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, परन्तु यह बिन्दु भी चर्चा में आया कि इस प्रकार से भूखण्ड के उपविभाजन अध्यक्ष/आयुक्त महोदय के स्तर पर कर दिया जाना चाहिए और बोर्ड को केवल सूचनार्थ बाद में अवगत कराया जा सकता है । इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और अपेक्षा की गयी कि भविष्य में इसी प्रकार से पालन किया जाये ।

मद संख्या - 5

डिफैन्स एन्क्लेब रेजीडैन्ट सोसायटी द्वारा प्रस्तावित कन्विनियेन्ट शापिंग के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया ।

मद संख्या - 6

शताब्दी नगर में अर्द्धनिर्मित भवनों को मूल मूल्यांकन पद्धति पर आबंटन हेतु प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पुर्न मूल मूल्यांकन स्वीकृत किया गया ।

मद संख्या - 7

प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्जित खसरा नम्बर 524, क्षेत्रफल 3-0-0 बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में उल्लिखित भूमि को अर्जन से मुक्त नहीं किया जाये ।

मद संख्या - 8

प्राधिकरण की अलोकप्रिय सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश दिनाँक 4 मई, 98 के प्रकाश में मूल मूल्यांकन पद्धति से किया जाना।

अलोकप्रिय सम्पत्तियों के पुर्न मूल्य मूल्यांकन के प्रस्ताव की समयवृद्धि दिनाँक 21-12-99 तक प्रदान की जाये।

मद संख्या - 9

श्री राम सरस्वती शिशु मन्दिर के व्यवस्थापक द्वारा दिल्ली मार्ग पर प्रस्तावित प्राईमरी स्कूल के मानचित्र स्वीकृति हेतु देय शमन शुल्क, सुदृढीकरण व पर्यवेक्षण शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त विशेष परिस्थितियों में सुदृढीकरण शुल्क में छूट प्रदान की गयी और यह भी इंगित किया गया कि इस प्रस्ताव को भविष्य में दृष्टान्त न माना जाये।

मद संख्या - 10

स्वैच्छिक शमन उपविधि के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त परिष्कारों को अंगीकार किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 11

शताब्दी नगर आवासीय योजना में सतर्कता विभाग की जाँच आदि से प्रभावित परिसम्पत्तियों की "जहाँ है - जैसे है" के सिद्धान्त पर विक्रय नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर निर्देश प्राप्त कर लिये जायें।

मद संख्या - 12

शताब्दी नगर आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया और यदि शासन की अनुमति की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही की जाये।

मद संख्या - 13

डिफेन्स एन्क्लेब रेजिडेन्ट सोसायटी द्वारा "कम्यूनिटी सेन्टर" हेतु दर्शित भूस्थल को योजना के तलपट मानचित्र में स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या - 14

मेरठ महायोजना - 2001 के पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी, यह भी निर्देश दिये गये कि मेरठ महायोजना में विभिन्न अवस्थापना योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाये और इसके साथ-साथ जोनल प्लान भी बनाया जाये।

मद संख्या - 15

प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना में ग्राम कसेरु बक्सर की अर्जित भूमि के गाटा सं०-445, क्षेत्रफल 0-4-2 बीघा को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रशनगत भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना प्राधिकरण हित में नहीं होगा परन्तु यदि आवेदक चाहें तो पूर्व में अन्य मामलों में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रार्थी या आवेदक मुआवजे के बजाय भूमि चाहते हों तो वह उन्हें दे दी जाये। उपाध्यक्ष आवेदक से विचार विमर्श करके इस प्रकरण का निस्तारण करेंगे।

मद संख्या - 16

मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ते का संशोधित दरों पर प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भुगतान के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या - 17

श्री मलखान सिंह, दैनिक वेतन/वर्कचार्ज के विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के आयु प्रमाण पत्र की पुष्टि सम्बन्धित स्कूल से कराकर उपाध्यक्ष अपने स्तर पर निर्णय ले लें।

मद संख्या - 18

परिसम्पत्ति के आबंटन में एक मुश्त भुगतान की दशा में छूट की अनुमन्यता।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 19

ब्रिगेडियर एन० के० ऐबट को गंगानगर आवासीय योजना के अन्तर्गत आबंटित भूखण्ड बी- 389 का दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त विशेष परिस्थितियों में दण्ड ब्याज माफ करने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 20

श्रद्धापुरी आवासीय योजनामें श्री राम औतार पुत्र श्री छक्कन लाल, प्राधिकरण कर्मचारी को आबंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 3/215 का उनकी सडक दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के

फलस्वरुप देय ब्याज व दण्ड ब्याज की मुक्ति हेतु श्रीमती इन्द्रा पत्नी स्व० श्री राम औतार का प्रार्थना - पत्र।

विचार विमर्श के उपरान्त देय ब्याज एवं दण्ड ब्याज का समायोजन कर्मचारी कल्याण कोष से किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 21

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण के उपचार में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 22

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी के चिकित्सा व्यय में किये गये धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 23

शताब्दी नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या एफ-1 को बिना परिवर्तन शुल्क लिये गंगा नगर आवासीय योजना में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमति का अनुमोदन प्रदान किया गया परन्तु इस अनुमोदन को भविष्य में दृष्टान्त नहीं बनाया जायेगा।

मद संख्या - 24

श्री नन्दकिशोर त्यागी, एडवोकेट को पाण्डव नगर आवासीय योजना में आबंटित उच्च आय वर्ग भूखण्ड सं०- एफ-127 पर लगे ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्देशित किया गया कि मूल्य निर्धारण में विवाद के बिषय में प्राधिकरण स्तर पर सभी सम्बन्धित

अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये और दण्ड ब्याज उसी स्थिति में माफ किया जा सकेगा यदि श्री त्यागी द्वारा दायर वाद वापस ले एवं शेष समस्त धनराशि जमा कर दी जाती है ।

मद संख्या - 25

भारतीय विकलांग मित्र नामक संस्था को पल्लवपुरम योजना के निकट पाकेट "पी" में आबंटित शैक्षिक भूखण्ड की दर को कम किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस संस्था द्वारा विकलांगों के लिये किये जा रहे सामाजिक कार्यो को देखते हुए सम्बन्धित भूमि को निःशुल्क लीज पर दिये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाये ।

मद संख्या - 26

श्रीमती कुसुम तलवार पत्नी बिग्रेडियर एन०के०तलवार (रिटायर्ड) को गंगानगर आवासीय योजना में आबंटित भूखण्ड संख्या - एन/11 पर देय चौकीदारी शुल्क को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

अनुपूरक मद संख्या - 1

गंगानगर आवासीय योजना के अन्तर्गत माननीय सदस्य विधान परिषद श्रीमती राजेश तोमर को उच्च आय वर्ग का भवन रियायती दर पर आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को शासन को सन्दर्भित करके निर्देश प्राप्त कर लिये जायें ।

अनुपूरक मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक/ कार्यालय/ नर्सिंग होम के भूखण्डों को विक्रय किये जाने की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक स्थलों की विक्री के लिये पूर्व की भाँति मुहरबन्द निविदा - सह - नीलामी की पद्धति लागू रखी जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 3

प्रसन्दी बिल्डर प्राईवेट लि०, मेरठ की वेदव्यासपुरी योजना के सेक्टर-2 में 20 एकड भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत आफर के साथ-साथ टैन्डर भी आमन्त्रित कर लिये जायें और आफर तथा टैन्डर पर उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाते हुए नियमानुसार निर्णय ले लिया जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 4

गंगानगर योजना में " इन्टरनेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेन्ट एवं टैक्नोलोजी संस्था" को शैक्षिक उपयोग हेतु 15000-20000 वर्गमीटर भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राप्त प्रस्ताव के साथ साथ एक बार टैन्डर आमन्त्रित कर लिये जायें और टेन्डर तथा इस प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाते हुए नियमानुसार निर्णय लें लिया जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 5

इण्डस वैली प्रमोटर्स लि० की गंगानगर योजना में "ग्रुप हाऊसिंग" हेतु उपलब्ध 25,240 वर्गमीटर भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राप्त प्रस्ताव के साथ-साथ एक बार टैन्डर आमन्त्रित कर लिये जायें और टेन्डर तथा इस प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाते हुए नियमानुसार निर्णय ले लिया जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 6

सूबेदार भूपसिंह, भूतपूर्व सैनिक, निवासी ग्राम गडीना, जिला-मेरठ को गंगानगर आवासीय योजना में 350 वर्गमीटर का भूखण्ड पूर्व निर्धारित दर पर आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 7

विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जल निकासी हेतु विस्तृत योजना बनाने के लिये नगर निगम तथा मेरठ विकास प्राधिकरण को निजी सर्वेयर की सेवाये लेकर सर्वेक्षण कार्य योजना बनाये जाने बिषयक।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 8

आरा मशीन, घरेलू गैस गोदाम, सरकारी कार्यालय को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया और यह निर्देश दिये गये कि जिला प्रशासन के सहयोग से आरा मशीन, घरेलू गैस गोदाम को आवासीय क्षेत्र से बाहर हटाये जाने की कार्यवाही की जाये तथा कार्यालयों के बिषय में कार्यवाही दूसरे चरण में की जायेगी।

अनुपूरक मद संख्या - 9

इन्डियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा मेरठ में ग्राम शोभापुर में खसरा सं०- 108/2/2 पर पेट्रोल, डीजल तथा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हेतु रिटेल आऊट लेट के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया परन्तु यह भी निर्देश दिये गये कि ग्रीन वैल्ट में सर्वे कराकर अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 10

लोहिया नगर योजना में उपलब्ध 2.2 हैक्टेयर्स भूमि पर प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु भू-विन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 11

सुभारती के०के०बी०चैरिटेबल ट्रस्ट को मेडीकल/डेंटल कालेज हेतु वेदव्यासपुरी योजना में 55 एकड आबंटित भूमि के मद में जमा धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध न कराये जाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की अधिक थी अतः प्रार्थी की धनराशि में कटौती के स्थान पर प्रार्थी को उसकी जमा धनराशि पर ब्याज दिया जाना चाहिए। अग्रिम विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कटौती किये जाने के बिषय पर उपाध्यक्ष प्रार्थी से विचार विमर्श कर लें और कटौती के प्रतिशत पर सहमति प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही करें जिससे भविष्य में किसी प्रकार के विवाद अथवा मुकदमेबाजी की सम्भवना न रह सके।

अनुपूरक मद संख्या - 12

मेरठ विकास प्राधिकरणकी रक्षापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत कसेरु बक्सर के गाटा संख्या - 156 क्षे० 7-7-0 बीघा को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर ली जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 13

शताब्दी नगर आवासीय योजना के लिये अर्जित ग्राम कुन्डा की 2.56 एक भूमि अर्जन से मुक्त करने के लिये प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 14

प्राधिकरण की शताब्दी नगर आवासीय योजना के लिये अर्जित किन्तु वर्तमान में अविकसित भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 15

मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम कसेरु बक्सर के गाटा सं०-342 क्षेत्रफल 0-12-0 बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 16

मै० सृष्टि लैण्ड एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड को पल्लवपुरम याजना के अन्तर्गत पाकेट - टी में व्यवसायिक भूखण्ड सं०- सी-4 दिये जाने के सम्बन्धमें ब्याज माफ करने बिषयक।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों के एक मत न होने के कारण उपाध्यक्ष इस मामले में अपने स्तर से निर्णय ले लें।

अनुपूरक मद संख्या - 17

पल्लवपुरम आवासीय योजना हेतु ग्राम मुकर्रबपुर पल्हेडा स्थित अर्जित गाटा सं०-320 क्षेत्रफल 2-9-0 में से मात्र 0-15-0 बीघा क्षेत्रफल को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि इस मामले में आवेदक ने प्राधिकरण के साथ फ्राड किया है अत: उसके विरुद्ध एफ०आई०आर० क्यों नहीं दर्ज करायी गयी, इसकी जाँच की जाये और तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 18

गंगानगर आवासीय योजना के मध्यम आय वर्ग भवन सं०- ए-184 के आबंटी श्री त्रिलोक छाबडा को ब्याज माफी हेतु प्राप्त पत्र दिनाँक 17-10-99 एवं इस सन्दर्भ हेतु क्षेत्रीय विधायक श्री अमित अग्रवाल के पत्र दिनाँक 17-10-99 का निस्तारण।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि देय दण्ड ब्याज की 50 प्रतिशत धनराशि माफ कर दी जाये परन्तु इसे दृष्टान्त न बनाया जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 19

अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की नीति निर्धारण सम्बन्धित प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु निम्नलिखित

उपसमिति गठित की जाती है जो इस प्रस्ताव पर निर्णय कर अग्रिम कार्यवाही करेगी।

उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, विधायक - मेरठ शहर (सदस्य)
श्री अमित अग्रवाल, विधायक - मेरठ कैन्ट (सदस्य)
मुख्यनगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
अपरजिलाधिकारी (प्र०), मेरठ।
संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ।
सहयुक्त नियोजक, मेरठ।

अनुपूरक मद संख्या - 20

श्री प्रदीप कुमार राजा, लिपिक दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारी का स्पोर्टस कोटे के अन्तर्गत विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अपरिपक्व होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

ह०/-	ह०/-
सचिव	उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।	मेरठ।

ह०/-
अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 14-5-2000

समय : 10-30 बजे प्रात:
स्थान : मण्डलायुक्त कार्यालय सभाकक्ष

बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

1-	श्री एन० ए० विश्वनाथन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2-	श्री जितेन्द्र बिष्णु	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री अवनीश कुमार अवस्थी	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4-	श्री अनिल शर्मा	मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
5-	श्री अमित अग्रवाल	विधायक, मेरठ कैन्ट।	सदस्य
6-	श्री महेश सिंहल		सदस्य
7-	श्री हाजी निजामुददीन	सभासद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
8-	श्रीमती राखी त्यागी	सभासद, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
9-	श्री वी० के० गुप्ता	सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।)	सदस्य
10-	श्री ऊपाकान्त गुप्ता	संयुक्त निदेशक, कोषागार (प्रतिनिधि -सचिव, वित्त विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।)	सदस्य
11-	श्री जयभगवान वत्स	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जलनिगम, लखनऊ।	सदस्य
12-	श्री एस० के० जमा	चीफ कोआर्डीनेटर प्लानर (प्रतिनिधि-आयुक्त, एन० सी० आर०)	सदस्य
13-	श्री विशन सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्योग, मेरठ।	सदस्य